



दिनांक:- 20.12.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने हेतु

‘गुड मॉर्निंग महोबा’ कार्यक्रम तहत जनपदीय पुलिस ने किया ‘मॉर्निंग वॉक’..।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव की पहल पर जनपद में लांच किये गये *गुड मॉर्निंग महोबा* कार्यक्रम के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा जनपदवासियों के साथ बेहतर सम्बन्ध बनाने के उद्देश्य से संचालन किया जा रहा है।

जनपदीय महोबा पुलिस ने ‘गुड मॉर्निंग’ कह लोगों का अभिवादन किया और क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से बात की व उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया। समस्त थानों की गुड मॉर्निंग टीमों प्राप्त शिकायतों का समाधान करेंगी और सुधारात्मक उपाय करेंगी. एक बार समस्या हल हो जाने के बाद, वे संबंधित व्यक्ति को उस बारे में सूचित करेंगे।

पुलिस अधीक्षक महोबा की पहल का मुख्य उद्देश्य पुलिसकर्मियों की छवि को 'पुलिस मित्र' के रूप में बढ़ावा देना है। 'गुड मॉर्निंग महोबा' के साथ पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद की कमी को दूर करने के लिए यह लम्बा रास्ता तय कर सकता है और इससे पुलिस की छवि में सुधार होगा। जिसके क्रम में पुलिस की बेहतर छवि को बढ़ावा देने के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा पार्क, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का दौरा करेंगी और जनपदवासियों से उनकी कुशलता की जानकारी लेगी व समस्या का त्वरित निस्तारण भी करेगी।





दिनांक:- 20.12.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



महोबकंठ पुलिस ने वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-



आज दिनांक 20.12.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे तलाश वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित टीम ने 02 नफर वारंटी अभियुक्त 1- राकेश पुत्र भुवानीदीन अहिरवार उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम टोलापातर थाना महोबकंठ जनपद महोबा **NCR NO** 112/13 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 मुकदमा नं0 586/18 न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ को ग्राम टोलापातर से एवं 2- रविशरण पुत्र कन्धी लोधी उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम ब्यारजो थाना महोबकंठ जनपद महोबा अपराध संख्या 1347/12 धारा 324/323/504/506 भा0द0वि0 व मुकदमा नं0 596/18 को ग्राम ब्यारजो से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त को संबंधित मां0 न्यायालय पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-थाना महोबकंठ..।

1. उ0नि0 सूरज प्रसाद
2. का0 इन्द्रेश कुमार 3. हो0गा0 लालता प्रसाद...।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1-राकेश पुत्र भुवानीदीन अहिरवार उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम टोलापातर थाना महोबकंठ जनपद महोबा।
- 2- रविशरण पुत्र कन्धी लोधी उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम ब्यारजो थाना महोबकंठ जनपद महोबा।



दिनांक:- 20.12.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



थाना कुलपहाड़ पुलिस ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-



पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशन निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के०गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 20.12.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान तलाश वांछित NBW अभि०/वारण्टी के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ रविन्द्र कुमार तिवारी द्वारा गठित टीम की मदद से काफी समय से फरार चल रहे NBW वारण्टी/अभि० गण (1). राजेश कुमार पस्तौर पुत्र शिवनारायण उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम बागौल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा सम्बन्धित मु०नं० 19/20, अ०सं० 75/16 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट सम्बन्धित माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी) महोबा को ग्राम बागौल थाना कुलपहाड़ से गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

(1). राजेश कुमार पस्तौर पुत्र शिवनारायण उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम बागौल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1- उ०नि० रघुनाथ यादव
- 2- कां० हेमन्त कुमार



दिनांक:- 20.12.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



थाना कोतवाली महोबा पुलिस ने 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...



पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 20/12/2020 को प्रभारी निरीक्षक श्री विजय सिंह द्वारा गठित संयुक्त टीम के द्वारा 02 नफर वांछित अभियुक्तों क्रमशः 1. सागर खटीक पुत्र स्व0 लक्षी खटीक उम्र 22 वर्ष जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 501/20 धारा 363/366/368/120बी भादवि मे प्रकाश मे आया वांछित अभियुक्त है को सब्जी मण्डी तिराहे से गिरफ्तार किया गया तथा 2. रोहित शर्मा पुत्र सुखलाल शर्मा उम्र 52 वर्ष निवासी फतेहपुर बजरिया थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 669/20 धारा 393/323/504/506 भादवि मे वांछित अभियुक्त है को जिला अस्पताल के बाहर से गिरफ्तार किया गया । बाद आवश्यक कार्यवाही गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. सागर खटीक पुत्र स्व0 लक्षी खटीक उम्र 22 वर्ष नि0 मु0 सुभाषनगर जेल के पीछे थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा ।
2. रोहित शर्मा पुत्र सुखलाल शर्मा उम्र 52 वर्ष निवासी फतेहपुर बजरिया थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली थाना कोत0 महोबा की संयुक्त टीम:-

प्रथम टीम:-

1. उ0नि0 श्री अनूप कुमार पाण्डेय 2. कां0 उमेश कुमार 3. कां0 लालजीत यादव

द्वितीय टीम:-

1. उ0नि0 श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह 2. कां0 मुकेश सिंह



दिनांक:- 20.12.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस